GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185] No. 185] दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 27, 2019/भाद 5, 1941

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 151

DELHI, TUESDAY, AUGUST 27, 2019/BHADRA 5, 1941

[N.C.T.D. No. 151

भाग—IV

PART-IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा

अधिस्चना

दिल्ली, 26 अगस्त, 2019

2019 की विधेयक संख्या 03

दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2019

सं. 21(46)/विनि. 3/2019/वि.स.स.—VI/वि./2853.—वर्ष 2019–2020 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त शीर्षक

- ₹1332,13,81,000 / का वर्ष 2019—2020 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त
- 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 3) अधिनियम 2019 है।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए तेरह सौ बत्तीस करोड़ तेरह लाख इक्यासी हज़ार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यो के सम्बन्ध में वर्ष 2019–2020 की अविध के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होंगी।

4408 DG/2019 (1)

विनियोजन

उ. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अविध के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची (धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(**र** हजारों में) निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
	II		III	IV	V
1	विधान मंडल	राजस्व	0	0	0
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	649500	0	649500
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	715000	0	715000
4	वित्त	राजस्व	100	0	100
		पूँजी	55000	0	55000
5	गृह	राजस्व	33000	0	33000
		पूँजी	0	0	0
6	शिक्षा	राजस्व	100	0	100
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	0	8878	8878
		पूँजी	259353	0	259353
		राजस्व	4501300	0	4501300
8	समाज कल्याण	पूँजी	475000	0	475000
9	उद्योग	राजस्व	750	0	750
10	विकास	राजस्व	100	0	100
		पूँजी	0	0	0
11	سخار المحتار عالم ما المحتار ا	राजस्व	6623100	0	6623100
	शहरी विकास और लोक निर्माण	पूँजी	200	0	200
	योग		13312503	8878	13321381

विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी जापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2019 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 (1) (क) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धन राशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2019, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

दिल्ली

23 अगस्त, 2019

सी. वेलमुरूगन, सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY NOTIFICATION

Delhi, the 26th August, 2019

BILL No. 03 OF 2019

THE DELHI APPROPRIATION (No. 3) BILL, 2019

Α

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2019-2020.

No. 21(46)/Apprn. 3/2019/LAS-VI/Leg./2853.—BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

- 1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.3) Act, 2019.
- Issue of ₹1332,13,81,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2019-2020.
- 2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees Thirteen Thousand Thirty Two Crore Thirteen Lakh Eighty One Thousand Only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2019-2020 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE (See sections 2 and 3)

(₹ In thousands) SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	II		III	IV	V
1	Legislative Assembly	Revenue	0	0	0
2	General Administration	Revenue	649500	0	649500
3	Administration of Justice	Revenue	715000	0	715000
4	Finance	Revenue	100	0	100
		Capital	55000	0	55000
5	Home	Revenue	33000	0	33000
		Capital	0	0	0
6	Education	Revenue	100	0	100
7	Medical and Public Health	Revenue	0	8878	8878
		Capital	259353	0	259353
8	Social Welfare	Revenue	4501300	0	4501300
		Capital	475000	0	475000
9	Industries	Revenue	750	0	750
10	Development	Revenue	100	0	100
		Capital	0	0	0
11	Urban Development and Public Works	Revenue	6623100	0	6623100
11		Capital	200	0	200
	Total		13312503	8878	13321381

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No.3) Bill, 2019 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No 3) Bill, 2019 is introduced in pursuance of sub-section (I) of section 29 read with clause (a) of sub-section (1) of section 30 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2019-2020.

Delhi 23rd August, 2019

C. VELMURUGAN, Secy.